



“73वें संविधान संशोधन और ग्रामीण महिलाओं के राजनीतिक सशक्तिकरण का विश्लेषण”

मेघा

शोध छात्रा, राजनीति विज्ञान रास बिहारी बोस सुभारती विश्वविद्यालय देहरादून

डॉ. इमरान खान

एसोसिएट प्रोफेसर, राजनीति विज्ञान रास बिहारी बोस सुभारती विश्वविद्यालय देहरादून

सार (Abstract)

भारत की संसद द्वारा अप्रैल 1993 में पारित 73वां संविधान संशोधन अधिनियम भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर सिद्ध हुआ, जिसके माध्यम से पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। इस संशोधन की प्रमुख विशेषताओं में महिलाओं की भागीदारी को सुदृढ़ करने हेतु आरक्षण की व्यवस्था शामिल है। इसके अंतर्गत प्रत्येक पंचायती राज संस्था में कम से कम एक-तिहाई सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की गई हैं। साथ ही अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए उनकी जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण सुनिश्चित किया गया है, जिससे स्थानीय शासन में उनकी प्रभावी सहभागिता सुनिश्चित हो सके।

73वें संविधान संशोधन के बाद भारत में चली आ रही पारंपरिक पुरुष प्रधान समाज में अब महिलाओं की भूमिका निर्णय प्रक्रिया में बढ़ रही है, परंतु समाज की पिछड़ी मानसिकता के चलते महिलाओं के सामने अनेक कठिनाइयाँ उजागर होती चली आ रही हैं जिसके परिणामस्वरूप महिलाओं के सशक्तिकरण में अभी भी बाधाएँ उत्पन्न हो रही हैं। यह शोध पत्र 73वें संविधान संशोधन 1992 के प्रभावों का विस्तृत विश्लेषण प्रस्तुत करता है। विशेष रूप से ग्रामीण महिलाओं के राजनीतिक सशक्तिकरण के संदर्भों में इस संशोधन ने पंचायती राज संस्थानों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया तथा महिलाओं के लिए न्यूनतम 33 प्रतिशत आरक्षण सुनिश्चित किया, जिससे उनकी राजनीतिक भागीदारी और नेतृत्व क्षमता में वृद्धि हुई है।

मुख्य शब्द— सहभागिता, राजनीतिक सशक्तिकरण, सामाजिक मानसिकता, नेतृत्व क्षमता, 73वाँ संविधान संशोधन

परिचय:—

भारत में महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी ऐतिहासिक रूप से सीमित रही है। 73वें संविधान संशोधन ने पहली बार उन्हें स्थानीय शासन में संवैधानिक रूप से महत्वपूर्ण स्थान प्रदान किया। यह संशोधन लोकतंत्र के विकेंद्रीकरण और सामाजिक न्याय की दिशा में एक मील का



पत्थर है। इतिहास से लेकर आधुनिक युग तक भारतीय समाज में महिलाओं का योगदान पुरुषों से किसी भी प्रकार कम नहीं रहा है। समय के साथ महिलाओं ने भी हर क्षेत्र चाहे वह राजनीति हो, प्रशासनिक सेवाएं, कॉर्पोरेट क्षेत्र या खेल में उल्लेखनीय प्रगति की है। जिन क्षेत्रों में कभी पुरुषों का वर्चस्व हुआ करता था वहाँ आज महिलाएं अपनी क्षमता बुद्धिमत्ता और कार्यकुशलता का प्रभावी प्रदर्शन कर रही हैं। इसके बावजूद समाज में आज भी कई महिलाएं असुरक्षा का अनुभव करती हैं और उन्हें अत्याचार तथा शोषण का सामना करना पड़ता है। यद्यपि सरकार ने महिला आयोग जैसे संस्थानों की स्थापना की है फिर भी सभी महिलाओं तक इनका लाभ नहीं पहुँच पाता। इसका एक प्रमुख कारण महिलाओं में अपने अधिकारों और उनसे संबंधित कानूनों की पर्याप्त जानकारी का अभाव है।

अतः आवश्यक है कि सरकार महिलाओं को उनके अधिकारों और सुरक्षा से जुड़े कानूनों के प्रति जागरूक करे जिससे वे अधिक आत्मविश्वास के साथ अन्याय के विरुद्ध आवाज उठा सकें। साथ ही समाज में पुरुषों को भी महिलाओं के प्रति अपनी सोच में सकारात्मक परिवर्तन लाना होगा जिससे एक समान और सम्मानजनक वातावरण का निर्माण हो सके जहाँ महिलाएं बिना किसी भय या असुविधा के कार्य कर सकें।¹

भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति:-

वर्तमान युग में हम स्वयं को एक विकसित और शिक्षित समाज का हिस्सा मानते हैं फिर भी महिलाओं के प्रति समाज की सोच पूरी तरह समान नहीं हो पाई है। आज भी समाज में कई स्तरों पर लैंगिक पक्षपात देखने को मिलता है। विशेष रूप से कामकाजी महिलाओं की स्थिति चुनौतीपूर्ण बनी हुई है क्योंकि उन्हें अपने पेशेवर दायित्वों के साथ-साथ घरेलू कार्यों की पूरी जिम्मेदारी भी निभानी पड़ती है। पुरुष प्रधान मानसिकता के कारण घर के कामों को विशेष रूप से महिलाओं का कर्तव्य माना जाता है जबकि वास्तविकता यह है कि महिला परिवार की देखभाल बच्चों के पालन-पोषण और अन्य घरेलू आवश्यकताओं को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

नारी उत्थान का वास्तविक अर्थ समाज में महिलाओं को समान अधिकार सम्मान और स्वतंत्रता प्रदान करना है। इसका उद्देश्य यह नहीं है कि समाज नारी-प्रधान बन जाए या पुरुषों का शोषण



हो बल्कि यह सुनिश्चित करना है कि महिलाओं को निरंकुशता, क्रूरता, अमानवीय व्यवहार और भेदभाव से मुक्ति मिले। हालाँकि महिलाओं की सुरक्षा और अधिकारों के लिए अनेक कानून बनाए गए हैं लेकिन कभी-कभी इनका दुरुपयोग भी देखने को मिलता है जो एक गंभीर चिंता का विषय है। ऐसे मामलों में न केवल निर्दोष व्यक्तियों को हानि होती है बल्कि इससे महिलाओं के प्रति समाज का विश्वास भी प्रभावित होता है।

यह आवश्यक है कि कानूनों को अधिक संतुलित और प्रभावी बनाया जाए तथा उनका सही उपयोग सुनिश्चित किया जाए। साथ ही समाज में मानवीय मूल्यों और नैतिकता को मजबूत करना भी उतना ही जरूरी है ताकि कोई भी व्यक्ति व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए कानून का दुरुपयोग न करे। किसी भी समाज परिवार या राष्ट्र के विकास में महिलाओं का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। वे माँ, बहन, पत्नी और बेटी के रूप में समाज की आधारशिला हैं इसलिए उनके प्रति सम्मान और समानता का भाव रखना अनिवार्य है। आज भी बेटा-बेटी के बीच भेदभाव की सोच पूरी तरह समाप्त नहीं हुई है जबकि यह स्पष्ट है कि बिना बेटियों के समाज का अस्तित्व ही संभव नहीं है। इतिहास में रानी लक्ष्मीबाई और जीजाबाई जैसी महान महिलाओं ने अपने साहस और नेतृत्व से समाज को नई दिशा दी है। वर्तमान समय में भी महिलाओं का सशक्तिकरण समाज के समग्र विकास के लिए आवश्यक है। जब समाज महिलाओं को सम्मान अवसर और सुरक्षा प्रदान करेगा तभी एक सशक्त संतुलित और प्रगतिशील समाज का निर्माण संभव हो सकेगा।²

अध्ययन के उद्देश्य:-

- इस अध्ययन का मुख्य उद्देश्य 73वें संविधान संशोधन का समग्र विश्लेषण करना।
- ग्रामीण महिलाओं के राजनीतिक सशक्तिकरण की स्थिति का आकलन करना
- महिलाओं के सशक्तिकरण से जुड़ी चुनौतियों और भविष्य की संभावनाओं का गहन अध्ययन करना।



शोध पद्धति:-

प्रस्तुत अध्ययन मुख्यतः द्वितीयक स्रोतों पर आधारित है तथा इसकी प्रकृति वर्णनात्मक एवं विश्लेषणात्मक है। इसमें ग्रामीण स्तर पर महिलाओं के सशक्तिकरण का विश्लेषण करने का प्रयास किया गया है। शोध पत्र में प्रयुक्त सभी आंकड़े द्वितीयक स्रोतों से संकलित किए गए हैं।

73वाँ संविधान संशोधन एवं इसकी मुख्य विशेषताएँ:-

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 40 में निहित राज्य के नीति-निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि राज्य ग्राम पंचायतों का गठन करें तथा उन्हें ऐसे आवश्यक अधिकार प्रदान करें जिससे वे स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में प्रभावी ढंग से कार्य कर सकें। इसी उद्देश्य से संविधान में पंचायतों से संबंधित एक नया अनुच्छेद जोड़ा गया जिसका लक्ष्य ग्राम स्तर पर तथा ग्रामों के समूहों के लिए पंचायतों की स्थापना को सुदृढ़ करना है।

इस प्रावधान के अंतर्गत पंचायतों के विभिन्न स्तरों पर गठन सभी सीटों के लिए प्रत्यक्ष चुनाव, सरपंच के निर्वाचन की व्यवस्था तथा पंचायतों के सुचारु संचालन के लिए आवश्यक संस्थागत ढाँचा सुनिश्चित किया गया है। साथ ही अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए जनसंख्या के अनुपात में सीटों का आरक्षण तथा महिलाओं के लिए कम से कम एक-तिहाई सीटों का आरक्षण अनिवार्य किया गया है। पंचायतों का कार्यकाल पाँच वर्ष निर्धारित किया गया है और यदि किसी पंचायत को भंग कर दिया जाता है तो छह महीने के भीतर पुनः चुनाव कराने का प्रावधान किया गया है।³ इसके अतिरिक्त इस व्यवस्था में पंचायतों को अनुदान प्रदान करने तथा उनके प्रभावी संचालन के लिए अन्य आवश्यक प्रावधान भी सम्मिलित किए गए हैं। 73वें संविधान संशोधन की मुख्य विशेषताएँ निम्नलिखित हैं। -

- **आरक्षण की व्यवस्था:-** 73वें संविधान संशोधन में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण तथा कई राज्यों में 50 प्रतिशत तक आरक्षण प्रदान किए जाने की व्यवस्था प्रदान की गई है। यह महिलाओं को राजनीतिक सक्रियता प्रदान करने हेतु एक महत्वपूर्ण प्रयास है।⁴
- **संवैधानिक मान्यता-** इस संशोधन के तहत पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया तथा त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली की स्थापना की गई। इसके साथ ही ग्राम सभा को



स्थानीय स्वशासन की आधारशिला के रूप में मान्यता दी गई। ग्राम सभा को इस अधिनियम में पंचायती राज व्यवस्था की आधारशिला माना गया है। यह ग्राम स्तर पर उस पंचायत क्षेत्र के सभी व्यक्तियों का समूह है जो मतदाता सूची में पंजीकृत होते हैं। ग्राम सभा को राज्य विधानमंडल द्वारा निर्धारित शक्तियाँ और कार्य दिए जाते हैं जिनका वह स्थानीय स्तर पर पालन करती है।

- **त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था:**—यह अधिनियम प्रत्येक राज्य में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान करता है, जिसमें ग्राम पंचायत, पंचायत समिति (मध्य स्तर) और जिला परिषद के रूप में तीन स्तरीय संरचना स्थापित की गई हैं। इससे पूरे देश में पंचायत संरचना में एकरूपता आती है। हालांकि जिन राज्यों की जनसंख्या 20 लाख से कम है वहाँ मध्यवर्ती स्तर की पंचायत बनाना अनिवार्य नहीं है।
- **प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली:**— पंचायतों के सदस्यों का चुनाव तीनों स्तरों पर सीधे जनता द्वारा किया जाता है। मध्यवर्ती और जिला स्तर पर अध्यक्षों का चुनाव निर्वाचित सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है, जबकि ग्राम स्तर पर अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया राज्य विधानमंडल तय करता है। पंचायत के अध्यक्ष और अन्य निर्वाचित सदस्यों को बैठकों में मतदान का अधिकार होता है।
- **अनुसूचित जाति एवं जनजाति महिलाओं हेतु प्रावधान:**— अधिनियम के अंतर्गत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए उनकी जनसंख्या के अनुपात में सभी स्तरों पर सीटों का आरक्षण किया गया है। साथ ही पंचायतों में अध्यक्षों के पद भी SC और ST के लिए आरक्षित किए जा सकते हैं। महिलाओं के लिए कुल सीटों और अध्यक्ष पदों में कम से कम एक-तिहाई आरक्षण अनिवार्य किया गया है जिसमें SC और ST महिलाओं के लिए आरक्षित सीटें भी शामिल हैं। इसके अतिरिक्त राज्य विधानमंडल को पिछड़े वर्गों के लिए भी सीटों और अध्यक्ष पदों का आरक्षण करने का अधिकार दिया गया है। SC और ST के लिए आरक्षण की व्यवस्था एक निर्धारित अवधि तक लागू रहती है, जो संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार समय-समय पर बढ़ाई जाती रही है।
- **नियमित चुनाव:**— पंचायतों का कार्यकाल पाँच वर्ष का होता है जिसकी गणना उनकी पहली बैठक की तिथि से की जाती है। यदि किसी पंचायत को समय से पहले भंग कर



दिया जाता है तो उसके पुनर्गठन के लिए चुनाव पाँच वर्ष की अवधि समाप्त होने से पहले या भंग होने की तिथि से छह महीने के भीतर कराना आवश्यक होता है।⁵

राजनीतिक सशक्तीकरण की अवधारणा:-

महिला सशक्तिकरण की पहल वर्ष 1985 में नैरोबी में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय महिला सम्मेलन से सशक्त रूप में उभरी। इसका मूल उद्देश्य महिलाओं को पुरुषों के समान वैधानिक, राजनीतिक, शारीरिक मानसिक, सामाजिक और आर्थिक अधिकार प्रदान करना है ताकि वे परिवार, समुदाय, समाज और राष्ट्र के सांस्कृतिक परिवेश में निर्णय लेने में सक्षम बन सकें। सशक्तिकरण का अर्थ केवल क्षमता प्राप्त करना ही नहीं बल्कि किसी कार्य को करने या उसका विरोध करने की शक्ति से भी है। इसके अंतर्गत महिलाओं को जागरूक बनाकर उन्हें आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, शैक्षिक और स्वास्थ्य संबंधी संसाधनों तक पहुँच प्रदान की जाती है, जिससे सामाजिक न्याय और लैंगिक समानता के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके।

इसके साथ ही सशक्तिकरण का एक महत्वपूर्ण आयाम सत्ता और निर्णय-निर्माण की प्रक्रियाओं में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करना है क्योंकि निर्णय लेने की क्षमता ही सशक्तिकरण का प्रमुख मानक है। यह प्रक्रिया महिलाओं के अधिकारों, सम्मान और योग्यता के विकास को प्रोत्साहित करती है तथा उन्हें घर और समाज दोनों स्तरों पर स्वीकृति दिलाती है।

अतः महिला सशक्तिकरण का प्रमुख उद्देश्य महिलाओं के समग्र विकास प्रगति और आत्मनिर्भरता को सुनिश्चित करना है जिससे वे समाज में एक सशक्त और सक्रिय भूमिका निभा सकें।⁶

राजनीतिक सशक्तिकरण का विश्लेषण:-

भारतीय नारी सृष्टि के आरंभ से ही अनेक गुणों से संपन्न रही है। वह दया, करुणा, ममता और प्रेम की प्रतीक मानी जाती है। किसी भी राष्ट्र की परंपरा और संस्कृति का सच्चा प्रतिबिंब उसकी महिलाओं में दिखाई देता है क्योंकि वे समाज की रचनात्मक शक्ति होती हैं। यदि हमें भविष्य को बेहतर बनाना है तो वर्तमान में महिलाओं की स्थिति को सुदृढ़ और सशक्त बनाना अत्यंत आवश्यक है।



महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए संवैधानिक स्तर पर भी कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को आरक्षण प्रदान किया गया जिससे ग्रामीण स्तर पर उनकी राजनीतिक भागीदारी सुनिश्चित हुई। इसी प्रकार शहरी स्थानीय निकायों जैसे नगर निगम और नगर पालिकाओं में भी महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई जिससे उन्हें निर्णय-प्रक्रिया में सक्रिय भूमिका निभाने का अवसर मिला।

इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर भी महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के उद्देश्य से संसद और विधानसभाओं में आरक्षण सुनिश्चित करने की दिशा में प्रयास किए गए हैं। महिला आरक्षण विधेयक का उद्देश्य महिलाओं के लिए एक-तिहाई सीटें आरक्षित करना है जिससे वे राजनीति में अधिक सशक्त और प्रभावी भूमिका निभा सकें। इस प्रकार महिलाओं का सशक्तिकरण केवल सामाजिक आवश्यकता ही नहीं बल्कि एक विकसित और संतुलित समाज के निर्माण के लिए अनिवार्य है।⁷

महिलाओं के राजनीतिक सशक्तिकरण का प्रश्न भारतीय लोकतंत्र और समावेशी विकास से सीधे जुड़ा हुआ है। इस संदर्भ में 73वां संविधान संशोधन अधिनियम (1992) एक ऐतिहासिक मील का पत्थर माना जाता है जिसने ग्रामीण स्थानीय स्वशासन (पंचायती राज) को संवैधानिक दर्जा देते हुए महिलाओं की भागीदारी को संस्थागत रूप प्रदान किया।

राजनीतिक सशक्तिकरण के संदर्भ में इस अधिनियम के प्रभाव को कई स्तरों पर समझा जा सकता है। सबसे पहले इसने महिलाओं को औपचारिक राजनीतिक मंच प्रदान किया जहाँ वे निर्णय-प्रक्रिया का हिस्सा बन सकीं। इससे पहले ग्रामीण राजनीति में महिलाओं की भागीदारी अत्यंत सीमित थी। दूसरा इसने सामाजिक रूप से हाशिए पर रही महिलाओं विशेषकर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की महिलाओं को भी नेतृत्व के अवसर दिए जिससे सामाजिक न्याय को बढ़ावा मिला।⁸

हालाँकि इस प्रक्रिया में कुछ चुनौतियाँ भी सामने आईं। कई स्थानों पर "सरपंच पति" या प्रॉक्सी नेतृत्व की प्रवृत्ति देखी गई जहाँ निर्वाचित महिला प्रतिनिधि की जगह उनके पति या परिवार के पुरुष सदस्य वास्तविक निर्णय लेते हैं। इसके अतिरिक्त शिक्षा जागरूकता और प्रशासनिक प्रशिक्षण की कमी भी प्रभावी नेतृत्व में बाधा बनती है। फिर भी दीर्घकालिक दृष्टि से देखा जाए तो इस संशोधन ने महिलाओं के आत्म विश्वास नेतृत्व क्षमता और सामाजिक पहचान को मजबूत किया है।



स्थानीय स्तर पर भागीदारी के माध्यम से महिलाएं अब विकास योजनाओं शिक्षा स्वास्थ्य और स्वच्छता जैसे मुद्दों पर अधिक संवेदनशील और प्रभावी निर्णय ले रही हैं।⁹

भारत सहित विश्व के अधिकांश देशों में महिलाओं की आबादी लगभग आधी है फिर भी उन्हें पुरुषों के समान अवसर प्राप्त नहीं हो पाते। विशेषकर विकासशील देशों में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिस्थितियाँ अभी भी परंपरागत सोच और रूढ़ियों से प्रभावित हैं। वहीं विकसित देशों में आधुनिकता के बावजूद महिलाओं को पूर्ण समानता का दर्जा हासिल नहीं हुआ है।

भारत में शिक्षा और जागरूकता के बढ़ने से महिलाएँ अपने अधिकारों के प्रति अधिक सजग हुई हैं। लोकसभा और विधानसभाओं में 33 प्रतिशत आरक्षण की मांग इसी बढ़ती जागरूकता का परिणाम है। चूँकि महिलाएँ समाज और राष्ट्र की एक बड़ी आबादी का प्रतिनिधित्व करती हैं इसलिए यदि उन्हें सत्ता में उचित भागीदारी दी जाए तो यह देश के समग्र विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण और प्रभावी कदम सिद्ध होगा।

महिलाओं को सशक्त बनाने का सबसे प्रभावी उपाय यह है कि नीति-निर्माण करने वाली संस्थाओं जैसे संसद और राज्य विधानसभाओं में उनके लिए आरक्षण सुनिश्चित किया जाए। सामाजिक न्याय और समानता को बढ़ावा देने के लिए ऐसे संवैधानिक प्रावधान कुछ राज्यों में लागू भी किए गए हैं। हालांकि शिक्षा की कमी और समाज की संकीर्ण सोच के कारण निर्वाचित महिला प्रतिनिधि अभी अपेक्षित सफलता पूरी तरह हासिल नहीं कर पाई हैं फिर भी यह एक सकारात्मक शुरुआत है जो भविष्य में बेहतर और सार्थक परिणाम देने की क्षमता रखती है।¹⁰

चुनौतियाँ

- 1- लोगों की उदासीनता
- 2-अज्ञानता तथा जागरूकता की कमी
- 3-पितृसत्तात्मक सोच
- 4-प्रॉक्सी प्रतिनिधित्व, पति सरपंच
- 5-शिक्षा की कमी और वित्तीय निर्भरता
- 6-स्थानीय नौकरशाही द्वारा भटकाव या गलत जानकारी देना
- 7- महिलाओं का घरेलू कार्यों को प्राथमिकता देना तथा राजनीतिक गतिविधियों को द्वितीयक महत्व देना।
- 8- निर्माण प्रक्रिया में महिलाओं की भूमिका का पुरुषों की तुलना में कम होना।



9— शासन सम्बन्धी कार्य पुरुषों के द्वारा संपादित किया जाना।

ग्रामीण महिलाओं के सशक्तीकरण को बढ़ाने के प्रयास:-

भारत ने प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए कानूनी ढांचा तो विकसित कर लिया है लेकिन महिलाओं को पुरुषों के समान निर्णय लेने की स्थिति तक पहुंचाने की दिशा में यह केवल प्रारंभिक कदम है। केवल प्रतिनिधित्व पर्याप्त नहीं है जब तक महिलाएँ सार्वजनिक जीवन में सक्रिय और प्रभावी भागीदारी नहीं निभाती तब तक उनका सशक्तिकरण सीमित ही रहेगा।

सरकार ने इस दिशा में कई पहलें की हैं जिनमें प्रधानमंत्री महिला शक्ति केंद्र योजना उल्लेखनीय है। इस योजना का उद्देश्य सामुदायिक सहभागिता के माध्यम से ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाना और ऐसा वातावरण तैयार करना है जहाँ वे अपनी पूर्ण क्षमता का विकास कर सकें। इसके अतिरिक्त महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा पंचायती राज संस्थाओं में निर्वाचित महिलाओं के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं। इनका उद्देश्य महिला सशक्तिकरण से जुड़े मुद्दों पर चर्चा करना, स्थानीय शासन की प्रक्रियाओं से अवगत कराना तथा महिलाओं की नेतृत्व क्षमता को विकसित करना है जिससे वे परिवर्तन के प्रभावी माध्यम बन सकें।

पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं की भागीदारी और निर्णय लेने की क्षमता को बढ़ाने के लिए आवश्यक है कि अधिकाधिक महिलाओं को शासन प्रक्रिया में शामिल करने हेतु ठोस कदम उठाए जाएँ। निर्वाचन अधिकारियों और संबंधित कर्मियों को पंचायत व्यवस्था के प्रावधानों की जानकारी होनी चाहिए ताकि वे ग्रामीणों को सही दिशा दे सकें। ग्रामीण महिलाओं की शिक्षा और जागरूकता अत्यंत महत्वपूर्ण है विशेषकर महिला साक्षरता में सुधार के लिए त्वरित प्रयासों की आवश्यकता है।

इसके साथ ही महिलाओं के नेतृत्व संचार कौशल और सामाजिक सहभागिता को विकसित किया जाना चाहिए। उन्हें केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं की जानकारी देना तथा योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए मजबूत प्रबंधन प्रणाली विकसित करना भी आवश्यक है। ग्रामीण महिलाओं में अपनी भूमिका के प्रति जागरूकता बढ़ाना, पंचायत प्रतिनिधियों और आम ग्रामीणों को विकास से संबंधित प्रावधानों की जानकारी देना तथा महिला पंचायत सदस्यों को उनके अनुभवों के आधार पर प्रशिक्षित कर उनकी सक्रिय भागीदारी को प्रोत्साहित करना सशक्तिकरण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम सिद्ध होंगे।



निष्कर्ष:-

वास्तविक सशक्तिकरण के लिए आवश्यक है कि महिलाओं को राजनीतिक निर्णय-निर्माण की प्रक्रियाओं में सशक्त बनाया जाए। पंचायती राज संस्थाओं की स्थापना ने महिलाओं को एक सक्षम प्रशासक निर्णयकर्ता और नेता के रूप में स्वयं को सिद्ध करने का अवसर प्रदान किया है। 1992 का 73वां संविधान संशोधन इस दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है जिसने महिलाओं को सार्वजनिक जीवन में आगे आने और सामाजिक परिवर्तन में योगदान देने का अवसर दिया।

सरकार को इन संस्थाओं के प्रभावी संचालन स्पष्ट दिशा निर्देशों और विकासात्मक पहलों को और सुदृढ़ करना चाहिए। यह संशोधन विशेष रूप से महिलाओं को घर की सीमाओं से बाहर निकालकर प्रशासनिक और राजनीतिक क्षेत्रों में भागीदारी के लिए प्रेरित करता है। पंचायतों में योग्य महिलाओं की भागीदारी उनके सशक्तिकरण का एक महत्वपूर्ण माध्यम बन सकती है।

भारत जैसे विशाल लोकतंत्र में जहाँ महिलाएँ जनसंख्या का लगभग आधा हिस्सा हैं उन्हें प्रोत्साहित करना आवश्यक है। इस दिशा में सरकार, गैर-सरकारी संगठनों और विश्वविद्यालयों की महत्वपूर्ण भूमिका है। यदि पंचायत स्तर पर महिलाओं को उचित प्रतिनिधित्व और निर्णय लेने के अवसर मिलते हैं तो वे महिलाओं से जुड़े मुद्दों को प्रभावी ढंग से उठाकर उनकी स्थिति में सुधार ला सकती हैं।

हालाँकि इसमें केवल आरक्षण पर्याप्त नहीं है इसे ऐसे उपायों के साथ लागू करना आवश्यक है जो महिलाओं की भागीदारी को गुणात्मक रूप से सशक्त बनाएं। जहाँ महिलाएँ सक्रिय रूप से निर्णय-प्रक्रिया में भाग लेती हैं और विकास कार्यक्रमों को संचालित करती हैं वहाँ वास्तविक सशक्तिकरण दिखाई देता है। इसके विपरीत यदि वे केवल औपचारिक प्रतिनिधि बनकर रह जाती हैं और पुरुषों के निर्देशों पर निर्भर रहती हैं, तो सशक्तिकरण अधूरा माना जाएगा।

73वां संविधान संशोधन महिलाओं के राजनीतिक सशक्तिकरण की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम है। हालाँकि इसके पूर्ण लाभ के लिए आवश्यक है कि महिलाओं को शिक्षा, प्रशिक्षण और कानूनी जागरूकता प्रदान की जाए जिससे वे केवल प्रतिनिधि ही नहीं बल्कि सशक्त और स्वतंत्र निर्णयकर्ता के रूप में उभर सकें।



संदर्भ ग्रंथ सूची

- 1— रेड्डी, डब्ल्यू आर, ग्रामीण विकास समीक्षा महिला सशक्तिकरण विशेषांक (2016). राजेंद्रनगर, हैदराबाद पृ०सं०-23
- 2— तदैव पृ०सं०-24
- 3— शर्मा, के के (2012). भारत में पंचायती राज, विश्व भारतीय पब्लिकेशंस, नई दिल्ली, पृ०सं०-935
- 4— गरिमा, (2024). पंचायती राज में महिलाओं की राजनीतिक सहभागिता, नेतृत्व एवं साक्षितकरण: एक विलेशन, इंटरनोनल जनरल ऑफ क्रियेटिव रिसर्च थॉट्स, पृ०सं०-525-528
- 5— पडलिया, मुन्नी (2009). भारत में पंचायतराज व्यवस्था, अनामिका पब्लिर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स नई दिल्ली, पृ०सं०-91-94
- 6— मिश्रा, रंजना (2013), भारत में नारी राजनीतिक परिवर्तन, कैलाश पुस्तक सदन भोपाल, पृ०सं०-29
- 7— रेड्डी, डब्ल्यू आर, ग्रामीण विकास समीक्षा महिला सशक्तिकरण विशेषांक (2016). राजेंद्रनगर, हैदराबाद पृ०सं०-6
- 8— मीना, सिंह, कल्हन (2018). पंचायती राज व्यवस्था की उपादेयता, उभरती चुनौतियाँ एवं उनका निराकरण/समाधान, इनोवेटिव रिसर्च कॉन्सेप्ट, पृ०सं०-122
- 9— Kumar, Nishu (2022). women participation in panchayati raj with special Reference Haridwar (Uttarakhand), p- no.-7894
- 10— Sharda, mridula, Kumar, Satish (2023) women empowerment and role of panchayati raj, p- no--b46